न्यायालय:- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर (म०प्र०).

CANCELLED

97

B.O.R.

31 AUG 2016

मुन्ना सिंह उम्र 61 साल पिता छोटे सिंह लोधी

साकिन सोमखेडा तहसील व जिला दमोह ----- अपीलार्थी

निग - 3351 - I 16

बनाम

1. कनई पिता धनीराम गौड

2. चैतराम पिता धनीराम गौड

3. नन्हे सींग पिता धनीराम गौड

4. तुलसीराम पिता धनीराम गौड

5. हल्केभाई पिता धनीराम गौड

सभी साकिन मनका तहसील व जिला दमोह ------उत्तरवादी गण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा/- 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

91

26/09/16

/x/ प्रकरण के तथ्य /x/

यहकि पुनरीक्षण कर्ता ने एक आवेदनपत्र धारा 250 भू राजस्व संहिता का अनावेदको के खिलाफ मूल अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अभाना मंडल के समक्ष पेश किया था,जो कि सीमांकन के आधार पर प्रस्तुत कराया गया था,जिसमें नायब तहसीलदार के द्वारा कौर कोई साक्ष्य लिये मात्र तर्कों के आधार पर यह मानकर कि अनावेदको का 60 वर्षों से कब्जा होना दर्शाया गया है,और मामले को क्षेत्राधिकार के परे होना मानकर उन्होने आदेश दिनाक 05.05.2015 पारित कर आवेदन निरस्त कर दिया था ।

उक्त आदेश के खिलाफ अपीलार्थी ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय दमोह के समक्ष अपीलक्रमांक 53 अ/70 वर्ष 2014-15 पेश की थी,जो उन्होने आलोच्य आदेश दिनाक 21.12.2015 इस आधार पर पारित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3351-एक/2016 जिला दमोह मुन्नासिंह विरूद्ध कनई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर. बी.भट्ट उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दमोह के प्रकरण क्रमांक 54 अ/70 वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21-12-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 31-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 04-2-19 (आर.के. जैन) सदस्य	